

कार्यालय आवकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 5(1)06/279

ग्वालियर, दिनांक 3-2-2007

आसवनी स्थायी परिपत्र क्रमांक — 8

प्रति,

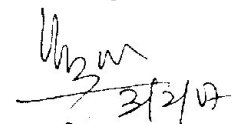
- 1— उपायुक्त आवकारी, राज्यस्तरीय उडनदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— समस्त संभागीय उपायुक्त आवकारी, मध्य प्रदेश ।
- 3— समस्त सहायक आवकारी आयुक्त/जिला आवकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 4— समस्त प्रभारी विनिर्माणी इकाई .....

विषय:— प्रदेश में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के अवैध परिवहन बाबत ।

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 100/पी.एस.सी.टी./2007 दिनांक 09.01.2007 में उल्लेख है कि "यह देखने में आया है कि प्रदेश में देशी/विदेशी मदिरा का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़े जाने पर उन्हें रुपये 50,000/- तक की पेनाल्टी लेकर छोड़ दिया जाता है । यह पेनाल्टी राजस्व अवबंघन की राशि की तुलना में अति अल्प होने से इस प्रकार की कार्यवाही से कोई अंकुश नहीं लग पाता ।" यहाँ निर्देशित किया जाता है कि आप इस प्रकार के प्रकरणों में वाहन एवं मदिरा राजसात करने जैसी सख्त कार्यवाही करें तथा यदि किसी विशेष प्रकरण में शक्ति आरोपित कर वाहन छोड़ा जाता है तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय के माध्यम से शासन को अवगत करावें ।

2 अवैध मदिरा के परिवहन के मामलों में विनिर्माणी इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों का निष्कर्ष या संपादनवादी कार्यवाही की जा सकती है । अतः सभी तरह की विनिर्माणी इकाइयों के प्रभारों को सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार की इकाइयों से किसी भी प्रकार से मदिरा की अवैध परामिट/विना परामिट पर निष्करी न हो सके । वे यह भी सुनिश्चित करें कि परामिटों पर इस कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप उतनी ही जांच की जाये जो परिवहन के लिये आवश्यक हो । परामिटों पर दिया गया बाला रूट भी उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किये अनुसार हो ।

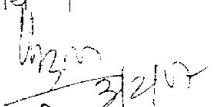
3 संभागीय उपायुक्त आवकारों उनके प्रभार क्षेत्र की विनिर्माणी इकाइयों से परिवहन के लिये टेंकर/ट्रक का सीधा और सुगम रूट अनुमोदित कर इसकी सूचना इस कार्यालय को देते हुये विनिर्माणी इकाइयों को दें ।

  
आवकारी आयुक्त,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 5(1)06 / 28-0  
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 3-2-2007

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल की ओर उनके अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 100/पी.एस.सी.टी./2007 दिनांक 09.01.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- अपर आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, प्रशासकीय/तकनीकी मुख्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- 3- उपायुक्त आबकारी, (प्रथम) मुख्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- 4- प्राचार्य, आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

  
आबकारी आयुक्त,  
मध्य प्रदेश